देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान क्रांतिकारी, अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह जी की जयन्ती पर विनम्र श्रद्धांजलि।

— डा. दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम, उप्र

सीएए को हिन्दू-मुस्लिम नहीं बल्कि इंसानियत के नजरिए से देखें।

— राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री

नेपाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी सम्मान सलोन कार्थक को

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। नेपाली भाषा के लिए वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी सम्मान सलोन कार्थक को उनके यात्रा-वृत्तांत ''विस्व एउटा पल्लो गाउं' को दिया जाएगा। अकादमी की ओर से इस सम्मान को दिए जाने की घोषणा बुधवार को की गई। अकादमी के सचिव के श्रीनिवासराव ने नेपाली भाषा के लिए अकादमी सम्मान की घोषणा करते हुए कहा कि त्रिसदस्यीय निर्णायक मंडल ने सलोन कार्थक का चयन उनके यात्रा वृतांत के लिए किया है। पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक ताम्रफलक, शॉल और एक लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

गणतंत्र दिवस पर निकाली जाने वाली जम्मू-कश्मीर की झांकी के लिए पोज देते लोक कलाकार। फोटो : लेखराज

जामिया में पुलिसिया कार्रवाई पर कोर्ट ने मांगी स्थिति रिपोर्ट

नई दिल्ली (एसएनबी)। जामिया मिलिया इस्लामिया में विगत 15 दिसम्बर को हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर अदालत ने दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रजत गोयल ने पुलिस से इसपर अपनी रिपोर्ट 16 मार्च तक दाखिल करने को कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है। जामिया ने अपनी शिकायत अधिवक्ता असगर खान व तारिक नासिर के माध्यम से दाखिल की है।

उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि पुलिस जामिया प्रशासन से बिना इजाजत लिए परिसर में घुस गई और लाइब्रेरी में पहुंचकर छात्रों को बुरी तरह से पीटा है। कई छात्रों को बिना वजह हिरासत में रखा गया। इसके अलावा पुलिस ने जामिया का गेट संख्या 4 व 7 को तोड़ दिया है। साथ ही लाइब्रेरी का गेट, खिड़की दरवाजा को भी तोड़ दिया। पुलिस ने देखा कि सीसीटीवी पर घटना की रिकार्डिंग हो रही है तो उसने वहां की लाइट ऑफ कर दी। शिकायत में कहा गया है कि इसको लेकर 16 दिसम्बर को पुलिस से शिकायत कर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई आगजनी के मद्देनजर पुलिस 15 दिसम्बर को घुसी थी जामिया में

जामिया प्रशासन का कहना है कि पुलिस बगैर अनुमति के घुसी थी परिसर में

यह शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी की गई थी और उसने भी पुलिस से शिकायत पर ध्यान देने को कहा था। पुलिस ने जो इससे संबंधित 15 दिसम्बर को प्राथमिकी दर्ज की है और उसकी शिकायत से अलग है। इसे देखते हुए अदालत पुलिस से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे।

पूर्वोत्तर रेलवे

ई–निविदा

निम्नलिखित कार्य के लिए ई–निविदाएँ भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य विद्युत इंजीनियर, यॉंत्रिक कारखाना, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा आमन्त्रित की जाती है:–

निविदा सूचना संख्या : EL-WS-GKP-2019-11, निविदा सं. एवं कार्य का विवरण : EL-WS-GKP-2019-11, प्रोविजन आफ एक्जास्ट फैन फार इम्पूर्वमेंट इन वेंटीलेसन आफ ट्यालेट आफ 150 नम्बर ए०सी० कोचेज इन मैकेनिकल वर्कशाप, एन.ई.रेलवे, गोरखपुर। **अनुमानित लागत :** रू० 2385532.00/–, **बयाने की राशि :** रू० 47700.00/–, **ई–निविदा फार्म का मूल्य:** Rs. 5,000/–, **कार्य पूर्ण करने की समय/अवधि स्वीकृत पत्र जारी होने के तिथि से** – 12 माह।

• आन लाइन ई–निविदा जमा करने की तिथि 17.02.2020 समय 15:00 बजे तक। • पूर्ण विवरण एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल के वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखे। • यदि निविदा सूचना में हिन्दी एवं अंग्रेजी में अन्तर होता है तो निविदा सूचना में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

उप मुख्य विद्युत इंजीनियर (कार.)/पू.उ.रे./गोरखपुर
मुजाधि/विद्युत – 102

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मोबाइल नं. 09794845955 पर SMS करें।
गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें।

विदेशी छात्रों की सभी जानकारियां विवि के पास मौजूद : जेएनयू

नई दिल्ली (एसएनबी)। जेएनयू प्रशासन ने बुधवार को कहा कि आरटीआई में किए गए दावे के विपरीत विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले सभी 301 विदेशी छात्रों की नागरिकता को लेकर उसके पास संबंधित जानकारी है। आरटीआई के तहत कोटा स्थित आरटीआई कार्यकर्ता सुजीत स्वामी की ओर से दाखिल आवेदन में दावा किया गया कि जेएनयू के पास उसके यहां पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में से 82 की नागरिकता को लेकर कोई सूचना नहीं है।

दावा, जेएनयू के पास उसके यहां पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में से 82 की नागरिकता को लेकर कोई सूचना नहीं

विश्वविद्यालय ने कहा कि विश्वविद्यालय के विभिन्न अकादमिक कार्यक्रमों में पंजीकृत विदेशी छात्रों के बारे में उसके पास सारी संबंधित सूचनाएं है। विश्वविद्यालय ने कहा कि जब कोई आरटीआई आता है तो पूछे गए सवाल पर जवाब देने के लिए समय सीमा होती है। आरटीआई में विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाओं से संबंधित कई अलग-अलग सवाल हैं। आरटीआई का सवाल विश्वविद्यालय के दाखिला, मूल्यांकन और सीआईएस शाखा से संबंधित था। विश्वविद्यालय ने कहा कि विश्वविद्यालय की अलग-अलग शाखाएं विभिन्न फॉरमेट में आंकड़े रखती हैं। केंद्रीय लोक सूचना कार्यालय अपनी संबंधित शाखा में उपलब्ध आंकड़े को सीधे आवेदक को भेजता है। विश्वविद्यालय ने कहा कि आरटीआई आवेदक ने अपने सवालों पर सभी संबंधित जवाब मिलने से पहले ही मीडिया को जानकारी दे दी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना पूरी सूचना प्राप्त किए खबर प्रकाशित हुई।

सभी केस घटनाओं के मुताबिक तथ्यों में चूक नहीं : जेएनयू

नई दिल्ली (एसएनबी)। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की ओर से बुधवार को कहा गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पुलिस में दर्ज कराई गई सभी प्राथमिकी और अन्य शिकायतें तीन जनवरी को हुई घटनाओं के मुताबिक है और तथ्यों में कोई चूक नहीं है।

दरअसल एक आरटीआई के आधार पर यह दावा किया गया था कि सर्वर रूम में तोड़फोड़ को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के दावों में विसंगतियां है। विश्वविद्यालय ने कहा कि आरटीआई आवेदन का जो जवाब दिया है, वह आवेदक के सवालों और विशेष स्थान से संबंधित है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि चार जनवरी को उपद्रवियों के एक समूह ने सर्वर को क्षतिग्रस्त किया था। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि कि प्रशासन की ओर से सेंटर फॉर इन्फार्मेशन सिस्टम (सीआईएस) डेटा सेंटर में हुई घटना के सिलसिले में तीन जनवरी को दर्ज करवाई गई शिकायत के मुताबिक जेएनयू ने यह दावा नहीं किया कि सर्वरों को उस दिन नुकसान पहुंचाया गया था। आरटीआई में दिए गए जवाब सही है और जो पूछा गया है उसी के जवाब दिए गए है।

संगोष्ठी में अर्थव्यवस्था पर चर्चा

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध दौलतराम कॉलेज में वाणिज्य विभाग और अर्थशास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में तकनीकी युग में आय असमानता, संरक्षणवाद और अंतरराष्ट्रीय व्यापार : विशेष संदर्भ भारत विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई।

संगोष्ठी की एडवाइजर डॉ. सुषमा अरोड़ा एवं संयोजक डॉ. रीटा रानी थीं। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि प्रो.संतोष कुमार मेहरोत्रा, विशिष्ट अतिथि डॉ.राम उपेन्द्र दास व मुख्य वक्ता प्रो.यामिनी अग्रवाल थीं।प्रो. संतोष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार गरीबी विकास को हानि पहुंचाती है। निःसंदेह आय की असमानता गरीबी को बढ़ावा देती है। ये असमानता बहुत बड़ी चुनौती है।

विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ.दास ने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आयात ऑर निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रो.यामिनी ने संरक्षणवाद को सीमा नहीं लांघनी चाहिए विषय पर पॉवर प्वॉइंट प्रस्तुति दी। संगोष्ठी की संयोजक डॉ.रीटा रानी के धन्यवाद ज्ञापन द्वारा सत्र का समापन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वक्ता और श्रोता शामिल हुए।

फेडरल बैंक
आपका संपूर्ण बैंकिंग पार्टनर

शाखा : फरीदाबाद सैक्टर–16, एस.सी.ओ.–5, हुडा मार्केट, भूतल, सैक्टर–16, फरीदाबाद, हरियाणा–121002 फोन नं. 0120–2821550 इमेलः frda@federalbank.co.in

स्वर्ण की निजी बिक्री हेतु सूचना

सभी सम्बन्धित की जानकारी हेतु एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक की नीचे वर्णित शाखाओं के पास निम्नलिखित स्वर्ण ऋण खातों में प्रत्याभूत स्वर्ण आभूषणों, जो छुड़ाने हेतु ओवरड्यू हैं और बार–बार नोटिस के बावजूद अब तक नियमित नहीं किये गये हैं, नीचे दर्शाये अनुसार 28.01.2020 को या इससे पश्चात् शाखा में बिक्री हेतु रखे जाएंगे।

शाखा / स्थान	
फरीदाबाद	अमित मक्कार खाता संख्याः 19145600000279

स्थान : फरीदाबाद दिनांकः 22.01.2020 शाखा प्रबंधक

अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
[दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन]
मैसर्स के के मिल्क फ्रेश इंडिया लि. के भावी समाधान आवदेकर्ताओं के ध्यानार्थ हेतु

संबंधित विवरण

1. कॉरपोरेट देनदार का नाम	मैसर्स के के मिल्क फ्रेश इंडिया लि.
2. कॉरपोरेट देनदार के निगमन की तिथि	20-01-2010
3. उस ऑथेरिटी का नाम, जिसके अधीन कॉरपोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	कंपनियों के रजिस्ट्रार, कानपुर
4. कॉरपोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित देयता पहचान संख्या	U01403UP2010PLC039300
5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पंजीकृत कार्यालयः 57 माईलस्टोन एन एच –2, गाँव कुम्भी तहसील – अकबरपुर, रामाबाई नगर, यू.पी. – 209206, इंडिया
6. कॉरपोरेट देनदार के सम्बंध में दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	24-09-2019
7. अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण की तिथि	23-01-2020
8. कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों के लिए पात्रता निम्नलिखित पर उपलब्ध हैः	संकल्प आवेदकों के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड (अकेले, संयुक्त रूप से या संघ में) संकल्प पेशेवर के साथ संकल्प पेशेवर ("आरपी") तक पहुंचने के लिए हैः • बॉडी कॉरपोरेट्स और अन्य व्यक्तियों हेतुः न्यूनतम नेट वर्थ रुपये 10 करोड़ दस्तावेजों साक्ष्य द्वारा समर्थित • फंड/पीई निवेशकों/वित्तीय संस्थानों हेतुः 31.03.2019 तक 50 करोड़ रुपये के निवेश के लिए उपलब्ध प्रबंधन या निधि के तहत न्यूनतम संपत्तियां उपलब्ध कराई गई या निधि उपलब्ध कराई गई। पूर्ण विवरण वेबसाइट www.arck.in पर उपलब्ध या insolvency@arck.in पर ई–मेल द्वारा मांगा जा सकता है
9. धारा 29ए के अधीन लागू अयोग्यता के मानक निम्नलिखित पर उपलब्ध हैः	वेबसाइटों पर उपलब्धः – www.arck.in – आईबीबीआईः www.ibbi.gov.in या insolvency@arck.in पर ई–मेल द्वारा मांगा जा सकता है
10. अभिरूचि के अभिव्यक्ति के प्राप्ति की अंतिम तिथि	07-02-2020
11. संभावी समाधान आवेदकों के अनंतिम सूची निर्गमन की तिथि	09-02-2020
12. अनंतिम सूची के आपत्तियों को जमा करने की अंतिम तिथि	14-02-2020
13. संभावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची निर्गमन की तिथि	16-02-2020
14. संभावी समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स तथा समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध के निर्गमन की तिथि	10-02-2020
15. समाधान योजना, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अधिक जानकारी के लिए अनुरोध प्राप्त करने का तरीका	अस्थायी सूची में सभी संभावित समाधान आवेदकों ("पीआरए") और उन पीआरए जिन्होंने अनंतिम सूची में उनके शामिल होने के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उन्हें समाधान योजना (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स और सूचना ज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुरोध प्रदान किया जाएगा। insolvency@arck.in पर ई–मेल भेजकर और जानकारी प्राप्त की जा सकती है
16. समाधान को जमा करने की अंतिम तिथि	12-03-2020
17. समाधान प्रोफेशनल के पास समाधान योजनाओं को जमा करने का तरीका	ई–मेल द्वारा insolvency@arck.in पर या पंजीकृत पोस्ट/स्पीड पोस्ट या सीलबंद लिफाफे में व्यक्ति द्वारा
18. अनुमोदन के लिए न्याय निर्णयन प्राधिकारी के पास समाधान योजना को जमा करने की अनुमानित तिथि	20-03-2020
19. समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	नामः चंचल दुआ पंजीकरण नं.: IBBI/IPA-003/IP-N00083/2017-18/10821
20. समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता तथा ई–मेल, जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है	नामः चंचल दुआ पता : 1-A/85-A, रमेश नगर, नई दिल्ली–110015 ईमेलः chanchalduaco@gmail.com
21. समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई–मेल	पताः एआरसीके रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स् एलएलपी, 409, चतुर्थ तल, अंसल भवन, 16 के जी मार्ग, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 ईमेलः insolvency@arck.in
22. अधिक विवरण निम्नलिखित पर या के पास उपलब्ध हैः	वेबसाईटः – www.arck.in या insolvency@arck.in पर रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स् से ई–मेल द्वारा मांगा जा सकता है
23. फॉर्म–जी के प्रकाशन की तिथि	23-01-2020

हस्ता/–
चंचल दुआ
पंजीकृत नं. IBBI/IPA-003/IP-N00083/2017-18/10821
पता : 1-A/85-A, रमेश नगर, नई दिल्ली–110015
कृते मैसर्स के के मिल्क फ्रेश इंडिया लि.

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 23.01.2020

प्रतिवादी के उपस्थिति की अपेक्षाकारी उद्घोषणा
(सिविल प्रक्रिया संहिता का आर्डर 5, रूल 20)
सुश्री रेणु चौधरी, सिविल जज–03, रूम नंबर 15, मध्य जिला, तीस हज़ारी दिल्ली के न्यायालय में

वाद सं. एससीजे/763/2019
भारतीय स्टेट बैंक ... वादी
बनाम
मानेन्दर सिंह ... प्रतिवादी
सेवा में,
गौतम कुमार
श्री मानेन्दर सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी डब्–2/4, गली नंबर 9, एच–ब्लॉक, जौहरीपुर एक्सटेंशन, करावल नगर, नई दिल्ली–110094

उपरोक्त नामक प्रतिवादी
जबकि आप सम्मन प्राप्त करने से जानबूझकर बच रहे हैं, एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि यदि आप अंतिम निपटान के लिए नियत तिथि 29–01–2020 को वाद का बचाव करने के लिए हाजिर नहीं होंगे, तो वाद की सुनवाई तथा निर्धारण एकपक्षीय आधार पर किया जाएगा। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायालय की मोहर लगाकर दिनांक 28–11–2019 को दिया गया।

सुश्री रेणु चौधरी,
सिविल जज–03, रूम नंबर 15, मध्य जिला , तीस हज़ारी, दिल्ली

प्रतिवादी के उपस्थिति की अपेक्षाकारी उद्घोषणा
(सिविल प्रक्रिया संहिता का आर्डर 5, रूल 20)
श्री रूपिन्दर सिंह धीमान, सिविल जज–06, सेन्ट्रल टीएचसी, दिल्ली–54 के न्यायालय में

वाद सं. : सीएस /1131/2019
भारतीय स्टेट बैंक बनाम **दीपक नागपाल**
सेवा में,
गौतम कुमार
दीपक नागपाल, पुत्र कृष्ण लाल, निवासी आर–13, रामा पार्क रोड, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 **अन्य पता :** डब्ल्यूई–68, निकट रेड रोज स्कूल, रामा पार्क, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059

जबकि आप सम्मन प्राप्त करने से जानबूझकर बच रहे हैं, एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि यदि आप अंतिम निपटान के लिए नियत तिथि 07–02–2020 को पूर्वा. 10.00 बजे वाद का बचाव करने के लिए हाजिर नहीं होंगे, तो वाद की सुनवाई तथा निर्धारण एकपक्षीय आधार पर किया जाएगा।
मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायालय की मोहर लगाकर दिनांक 13–12–2019 को दिया गया।

सिविल जज
दिल्ली

कन्हैया पर मुकदमे की मंजूरी का निर्देश देने को लेकर याचिका

नई दिल्ली (भाषा)। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें उसने आप सरकार को जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ 2016 के राजद्रोह के एक मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिये निर्देश देने से इनकार कर दिया था।

पुलिस ने 14 जनवरी को कुमार और अन्य के खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र दायर करते हुए कहा था कि वे विश्वविद्यालय परिसर में नौ फरवरी 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम में जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और राजद्रोह वाले नारों का समर्थन कर रहे थे। कुमार के अलावा जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य पर भी आरोप था। भाजपा नेता नंद किशोर गर्ग द्वारा दायर याचिका में कुमार के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी देने की मांग करते हुए कहा गया कि इस तरह के मामलों में मुकदमे में विलंब कानून के शासन के लिये खतरे के बराबर है। याचिका में सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि वह एक उच्चस्तरीय समिति गठित करे जो यह पहलू देखेगी कि कुमार समेत आपराधिक मामलों में मुकदमे के लिये मंजूरी देने की प्रशासनिक प्रक्रिया में असाधारण विलंब किन वजहों से हुआ। उच्च न्यायालय ने पिछले साल चार दिसंबर को कहा था कि वह इस संबंध में दिल्ली सरकार को कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती क्योंकि मौजूदा नियमों, कानूनी नीति और मामले के तथ्यों के मुताबिक मुकदमे की मंजूरी का फैसला दिल्ली सरकार को लेना है।

शाहीन बाग में सीएए विरोधी प्रदर्शन सुरक्षा को खतरा : गोयल

नई दिल्ली (एसएनबी)। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य विजय गोयल ने शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन को सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कहा कि यह गुमराह लोगों की ओर से आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि शाहीन बाग में एक माह से ज्यादा समय से सीएए के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। गोयल ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि शाहीन बाग में प्रदर्शन के कारण बदरपुर, कालिंदी कुंज और दक्षिणी पूर्व दिल्ली के अन्य इलाकों को नोएडा से जोड़ने वाला यातायात प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि इतने दिनों से सड़क को बाधित कर, लोगों को दफ्तर और बच्चों को स्कूल जाने से रोक कर जिस तरह कानून व्यवस्था का वो मजाक उड़ा रहे हैं, यह सुरक्षा को खतरा है।

प्रदर्शन पर तिवारी ने उठाए सवाल

नई दिल्ली (एसएनबी)। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में शाहीन बाग में पिछले 39 दिन से चल रहे धरना-प्रदर्शन पर लोगों को हो रही मुश्किलों पर चिंता जताते हुए सवाल किया है कि क्या ये जायज है। तिवारी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि 39 दिन हो गए। शाहीन बाग के कारण यातायात ठप, लाखों लोग परेशान, बच्चे परीक्षा के समय भी 2-2 घंटे सड़कों पर बर्बाद कर रहे हैं। ऑफिस जाने वालों को परेशानी, व्यापारियों को नुकसान। क्या ये जायज है?' गौरतलब है कि शाहीन बाग में सड़क पर ही धरना-प्रदर्शन से लोगों को कई लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है।

प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
(इन्सॉल्वैन्सी एंड बैंकरप्सी (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12)
मैसर्स एपैक्स बिल्डसिस लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

1.	कार्पोरेट ऋणधारक का नाम	मैसर्स एपैक्स बिल्डसिस लिमिटेड
2.	कार्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	06-01-1193
3.	वह प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित / पंजीकृत है	कंपनियों के रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	L45400DL1993PLC051603
5.	कार्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालयः बी–292, चंद्र कंता कॉम्प्लैक्स, दुकान नं. 7, मेट्रो पिल्लर नं. 161, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली–110096 कॉर्पोरेट कार्यालयः सी–56/41, सैक्टर–62, नोएडा 201303 वर्क्स/यूनिटः i. औद्योगिक प्लाट नं. 11, सैक्टर–9, औद्योगिक इंटीग्रेटिड ईस्टेट, पंत नगर, रुद्रपुर पोस्ट ऑफिस, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड –263153 ii. एमआईडीसी प्लॉट नं. डी–3, उमरेड औद्योगिक क्षेत्र, चंद्रपुर रोड, तालुका उमरेड, जिला नागपुर–441203
6.	इन्सॉल्वैन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समाप्त होने की तिथि	09-01-2020
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि	09-01-2020 (दिनांक 21.01.2020 को आदेश की प्रति प्राप्त हुई)
8.	परिसमापक के रूप में इन्सॉल्वैन्सी प्रोफेशनल का नाम एवं पंजीकरण संख्या	नामः ज्ञान चंद नारंग पंजी नं. IBBI/IPA-002/IP-N00362/2017-18/11031
9	बोर्ड के पास पंजीकृत परिसमापक का पता तथा ई–मेल	पता : ब्लॉक–बी2, फ्लैट नं. 214, वरूण अपार्टमेंट, सैक्टर–9, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 ईमेलः narangcg58@gmail.com
10	परिसमापक के साथ पत्राचार हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला पता एवं ईमेल	पताः एआरसीके रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स् एलएलपी, 409, चतुर्थ तल, अंसल भवन, 16 के जी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 ईमेल : insolvency@arck.in
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	08.02.2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान बेंच, नई दिल्ली ने 09.01.2020 को मैसर्स एपैक्स बिल्डसिस लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है। (दिनांक 21.01.2020 को आदेश की प्रति प्राप्त हुई)
मैसर्स एपैक्स बिल्डसिस लिमिटेड के स्टेक धारकों को आह्वान किया जाता है कि ऊपर मद 10 के समक्ष वर्णित पते पर परिसमापक के पास 08.02.2020 को या उससे पूर्व अपने दावे प्रमाण सहित जमा करें।
वित्तीय क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी स्टेकधारक व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जायेगा।

हस्ता/–
ज्ञान चंद नारंग
परिसमापक – मैसर्स एपैक्स बिल्डसिस लिमिटेड

दिनांकः 23-01-2020
स्थान : नई दिल्ली

कुछ विवि दे रहे अमान्य डिग्री, खड़ा हो रहा विवाद

■ राकेश नाथ

नई दिल्ली। एसएनबी

देश के कुछ विश्वविद्यालय ऐसी डिग्रियां दे रहे हैं, जो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। ऐसी डिग्रियां देने से कानूनी विवाद खड़े हो रहें हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) ने इस पर चिंता जताई है। इस संबंध में देशभर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिख कर निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालयों को यदि कोई नई डिग्री देनी है, तो इसके लिए पहले आयोग से स्वीकृति ली जाए। विश्वविद्यालयों को भेजे गए निर्देश में यूजीसी ने कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय को डिग्री देने का अधिकार संसद में पारित नियमों के तहत दी जा सकती है। यूजीसी ने सभी डिग्रियों के नाम घोषित किए हैं। इससे इतर कोई अन्य डिग्री नहीं दी जा सकती, जब तक कि उसकी स्वीकृति यूजीसी से नहीं ली गई हो। लेकिन देखने में आया है कि कुछ विश्वविद्यालय व संस्थान ऐसी डिग्रियां दे रहें हैं, जो यूजीसी द्वारा मान्य नहीं हैं। इसलिए सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऐसी कोई भी डिग्री प्रदान न करें। यदि कोई विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा तय डिग्रियों से अलग कोई डिग्री प्रदान करना चाहता है, तो उसे यूजीसी को छह माह पहले आवेदन करना होगा। साथ ही इस डिग्री कोर्स को शुरू करने से संबंधित संपूर्ण स्पष्टीकरण देना होगा।

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को दिए निर्देश

rakesh.nath.rs@gmail.com

पाइपलाइन से जलापूर्ति में कई राज्य फिसड्डी

■ संजय टुटेजा

नई दिल्ली। एसएनबी

देश में ग्रामीण क्षेत्रों तक पाइप के जरिए जलापूर्ति करने की केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकतर राज्य रुचि नहीं ले रहे हैं। उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार व असम ऐसे राज्य हैं जो योजना के क्रिन्यावयन में सबसे पीछे हैं। हाल यह है कि चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों के लिए कुल 66653 गांवों व बस्तियों में पाइपलाइन जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया था लेकिन मात्र 23520 गांवों व बस्तियों तक ही अब तक पाइपलाइन बिछाई गई है।

वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है लेकिन कुल निर्धारित लक्ष्य में से 43133 गांवों तक लाइन लाइन के जरिए पेयजल आपूर्ति किया जाना अभी बाकी है। देश में आजादी के सात दशक बाद भी लाखों गांव ऐसे हैं जो पेयजल के लिए तरस रहे हैं। गांवों तक पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार योजनाएं तो बनाती है लेकिन केंद्र से योजनाओं के लिए धन मिलने के बावजूद राज्य उसमें रुचि नहीं लेते हैं। हाल यह है कि योजनाओं का लक्ष्य पाना तो दूर योजनांए अपने लक्ष्य के नजदीक भी नहीं पहुंच पा रही हैं।

केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गांवो व बस्तियों में में पाइप लाइन के जरिए जलापूर्ति के लिए केंद्रीय पेयजल मंत्रालय ने चालू वित्तीय वर्ष में 66653 गांवों व बस्तियों में पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया था लेकिन राज्यों की लापरवाही से मात्र 23520 गांवों व बस्तियों तक ही अब तक पाइपलाइन बिछाई गई है।

वर्ष में कुल लक्ष्य का आधा भी हासिल नहीं कर पाये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड

इस योजना के क्रिन्यावयन में सबसे पीछे झारखंड है जहां इस वर्ष कुल 10731 गांवों तक पाइपलाइन जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया था लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से लेकर अब तक झारखंड में मात्र 889 बस्तियों तक ही पाइपलाइन बिछाई जा सकी है और 9842 बस्तियां अभी बाकी हैं। केंद्र के आंकड़ों के अनुसार योजना की कुछ इसी तरह की दुर्दशा भाजपा शासित राज्य उत्तरप्रदेश में हुई है जहां 8318 बस्तियों तक पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन मात्र पिछले 10 माह में मात्र 245 बस्तियों में ही पाइप लाइन के जरिए पानी पहुंचाया गया है।

कुल निर्धारित लक्ष्य में से 8073 बस्तियों में पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है। इसी तरह असम में चालू वित्तीय वर्ष में 6847 बस्तियों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन पिछले आठ माह में मात्र 911 बस्तियों तक पानी पहुंचाया गया है, 5936 बस्तियों में पेयजल पहुंचाया जाना बाकी है। महाराष्ट्र में 6897 बस्तियों तक पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य था लेकिन 419 बस्तियों तक ही यह योजना पहुंची और 6478 बस्तियों के लोग आज भी पानी का इंतजार कर रहे हैं।अन्य राज्यों में राजस्थान के लिए 4639 बस्तियो तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन 2398 बस्तियों में ही पानी पहुंचाया जा सके।